जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति 01 फरवरी 2019

इस्लाम, संविधान और यर्थाथ की रोशनी में ट्रिपल तलाक़ पर जामिया में परिचर्चा

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के विधि विभाग ने संविधान , क़ानून और वैधता की रोशनी में " ट्रिपल तलाक़ " मुद्दे पर आज गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों ने हिस्सा लिया।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विधि विभाग के पूर्व चेयरमैन मुहम्मद शब्बीर इसमें मुख्य वक्ता थे। उन्होंने कहा कि भारत के मुस्लिम समुदाय में एक ही बार में ' तलाक़ तलाक़ तलाक़ ': ट्रिपल तलाक़: कह कर तलाक़ देने के मुद्दे पर शाह बानो केस के बाद से कई दल राजनीति करते रहे हैं, जो इन दिनों कुछ ज्यादा ही हो गई है।

उन्होंने कहा, अगर वक्त रहते मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड इस मुद्दे को सुलझा लेता तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड से ट्रिपल तलाक़ के बारे में बदलाव करने को कहना चाहिए था, न कि संसद से।

मुहम्मद शब्बीर ने कहा कि यह सही है कि इस ट्रिपल तलाक़ का कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाया और ख़त तथा व्हाट्स एप तक से तलाक़ देने के कुछ मामले सामने आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड अगर वक्त रहते ट्रिपल तलाक़ के चलन को रोकने के लिए खुद ही कानूनी ड्राफ्ट बना कर इसमें बदलाव के लिए सरकार से पहल करने को कहता तो आज इस मुद्दे पर राजनीतिक दल सियासी रोटियां नहीं सेक रहे होते। बोर्ड शरिया का सहारा लेकर आधुनिक समाज के हिसाब से इसमें तब्दीली ला सकता, था।

उन्होंने कहा कि आम लोगों में यह धारणा है कि भारत में पूरे मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक़ का चलन है जबकि यह इस्लाम की चार मसलकों में से सिर्फ हनफी मसलक में प्रचलित था।

जाने माने इस क़ानून विशेषज्ञ ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, कुवैत, इंडोनेशिया, ईरान, सोमालिया और तुर्की सहित 84 देशों में ट्रिपल तलाक़ ही नहीं, बल्कि ज़ुबानी तलाक़ देने तक पर बहुत पहले ही पाबंदी लगाई जा चुकी है। इन देशों में शरिया अदालतों में तलाक की अर्ज़ी देनी होती है और तीन महीने तक भी कोई सुलह नहीं होने पर तलाक को मंजूरी दी जाती है।

उन्होंने कहा कि भारत में सुधार के लिए मुस्लिम समुदाय के खुद पहल नहीं करने के चलते राजनीतिक दलों को इसका सियासी फायदा लेने का मौका मिल गया। जिसकी मिसाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुसलमानों में तलाक़ के बारे में सरकार एक ऐसा विवादास्पद अध्यादेश लाई है जिसमें एक बार में ट्रिपल तलाक़ देने वाले को तीन साल की जेल का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा अजीब प्रावधान केवल भारत में देखने को मिला है।

सवाल जवाब सत्र में एक लड़की द्वारा यह पूछे जाने पर कि भारत के मुस्लिम पर्सनल लाॅ में महिलाओं को खेती की ज़मीन में हिस्सेदारी क्यों नहीं दी गई, इसके उत्तर में उन्होंने मुहम्मद अली जिन्ना को ज़िम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि जिन्ना ज़मींदारों की वकालता करने वाले व्यक्ति थे और ज़मींदारों के दबाव में उन्होंने 1937 में बने मुस्लिम पर्सनल लाॅ ड्राफ्ट में मुस्लिम महिलाओं को खेती की ज़मीन में हिस्सेदारी से वंचित कर दिया।

जामिया के विधि विभाग की डीन नुज़हत परवीन ख़ान ने कहा कि ट्रिपल तलाक़ मुस्लिम समाज में सुधार करने की बजाय राजनीति करने का मुद्दा बन चुका है। शाह बानो केस के वक़्त से ही इस बारे में सियासत की जा रही है जो इन दिनों कहीं ज्यादा बढ़ गई है।

जामिया मिल्लिया के रजिस्ट्रार ए. पी. सिद्दीक़ी: आईपीएस: ने खुलासा किया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करते समय वह और नुज़हत परवीन दोनों ही मुहम्मद शब्बीर के छात्र रह चुके हैं। उन्हांेंने कहा कि ट्रिपल तलाक़ जैसे, ज्वलंत सियासी और धार्मिक मुद्दे को शब्बीर साहब से अच्छी तरह कोई नहीं समझा सकता था।

अहमद अज़ीम
जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक